मुकदमा संख्या:- 111/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
27.05.2024	प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा दुगावा में खेत खसरा संख्या 206 रकबा 0.05 हैक्टेयर, गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 207 रकबा 04.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209 रकबा 5.31 हैक्टेयर जूमले रकबा 9.41 हेक्टैयर की भूमि आई हुई है भूमि शामलाती दोनों भाई नेथी एवं पीरा की है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा दोनो के आपसी बंटवाड़ा काफी समय पूर्व हो गया था, परन्तु राजस्व रेकर्ड में तरमीम न होने के कारण विवाद होता रहता है खसरा संख्या 206 की भूमि रकबा 0.05 हैक्टेयर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी है जो प्रार्थी के बंट में है खसरा संख्या 207 पूरा का पूरा रकबा 4.04 हैक्टेयर खसरा संख्या 209 में से 0.61 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा संख्या 208 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा मुझ प्रार्थी का आया है इस प्रकार जूमले रकबा 4.705 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के बंट में होने से अलग तरमीम करवाना चाहता है जिसे प्रदर्श नक्शा 'अ' में बेंगनी रंग से दर्शायी गयी है इस प्रकार विवादित भूमि प्रार्थी की पैतृक संपति है जिसका प्रार्थी रिकॉडेड खातेदार है तथा प्रार्थी तथा अप्रार्थी के आपसी बंटवाड़ा वर्षों पूर्व हो चुका है तथा प्रार्थी ने उक्त विवादग्रस्त आराजी को खाद डालकर उपजाउ व उपयोगी बनाया तथा भूमि को समतल कर लाखों रूपये खर्च किये है तथा अप्रार्थी उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है तथा अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का पुराना खसरा संख्या 49 में से सरकारी 12 बीघा भूमि प्रभु नेथी पिता उका, तलसी बैवा उका व लेरा बैवा उका से गोकलाराम पुत्र मीरा व महादेवा पुत्र रणछोड़ा ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका राजस्व एजेन्सी ने जानबुझकर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई जिसका बेचानसूदा भूमि का प्रार्थी नेथी ने अपने नाम अवैध रूप से इन्द्राज करवा लिया तथा अप्रार्थी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने नक्शा प्रदर्श 'अ' गलत पेश किया है, तथा प्रार्थी ने न्यायालय के सामने बैचानसूदा भूमि का तथ्य छुपाया है। अप्रार्थी राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित भूमि बैचान करने का मुझे पूर्ण अधिकार है तथा मेरे हिस्से की भूमि बैचान करने पर प्रार्थी को कोई नुकसान नहीं होना है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है प्रार्थी ने गलत नक्शा पेश कर उपजाउ भूमि में प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। मैने उभयपक्षकरान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्यन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन, प्रा[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जा[illegible]। :– आदेश :– अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी सं 1 के विरुद्ध [illegible] तक इस आशय कि अस्थाई निषेधा[illegible] मौजा दुगावा के खेत खसरा संख्या 206, 207, 209, 208 जुमले [illegible] 4.705 हैक्टेयर भूमि जो प्रदर्श नक्शा 'अ' में बेंगनी रंग में दर्शायी [illegible] है प्रार्थी के कब्जेकाश्त में अप्रार्थी संख्या 1 न तो स्वयं दखलंदाजी करे तथा ना ही अन्य किसी से करावें। पत्रावली फैसल होकर नंबर से कम की जाकर मुल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचोर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रैक) सांचोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:27:22 IST
Reason: SelfAttested